

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

INDEX

IN

**RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD**

Execution Application No. 27 of 2023 in
Original Application No. 561 of 2022 (MA No. 54 of 2023)

Urvashi Shobhna Kachari

Petitioner(s)

Versus

Union of India & Ors.

Respondents

Shashikant Purohit

Applicant in EA No. 27 of 2023

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Index	1 - 1
2.	Response Affidavit	2 - 5
3.	Annexure-1: Copies of assessment report of Committee and subsequently SOP issued on 01.05.2023.	6 - 15
4.	Annexure-2: Copy of order dated 10.08.2023 of Hon'ble High Court of Uttarakhand.	16 - 34

Dated: 04 March, 2024



Advocate

(Counsel for the respondent)

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
RESPONSE AFFIDAVIT
ON BEHALF OF
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
IN

Execution Application No. 27 of 2023 in
Original Application No. 561 of 2022 (MA No. 54 of 2023)

Urvashi Shobhna Kachari

Petitioner(s)

Versus

Union of India & Ors.

Respondents

Shashikanth Purohit

Applicant in EA No. 27 of 2023



AFFIDAVIT of Dr. Parag Madhukar Dhakate, aged about 47 years, S/o Shri M. B. Dhakate presently posted as Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun.


Deponent

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -




1. That the deponent is presently posted as Member Secretary and has been duly authorized to sign and swear the instant response affidavit.
2. That the above noted Execution Application No. 27 of 2023 in Original Application No. 561 of 2022 (MA No. 54 of 2023) was listed for hearing on 05.01.2024, wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

“

7. Learned Counsel appearing for UEPPCB has fairly admitted that till now no carrying capacity study has been carried out. He submits that the carrying capacity study will now be carried out within a period of two months and a report disclosing the carrying capacity of all the concerned areas under consideration will be filed positively within a period of two months before the Tribunal.

.....”

3. That in light of the above-stated order on 05.01.2024, so far carrying capacity study has not been carried out. However, it is pertinent to submit that the matter of operation of equines in pilgrimage routes is under consideration before the Hon'ble High Court of Uttarakhand. In compliance of orders passed by the Hon'ble High Court of Uttarakhand in Writ Petition (PIL) No. 79 of 2022 titled as “Gauri Maulekhi Vs. State of Uttarakhand & Ors.”, the Uttarakhand Animal Welfare Board



Rajender Singh Negi

has carried out carrying capacity in term of maximum number of equines to be permitted in Kedarnath and Hemkund Sahib routes.

4. That based on recommendation of Committee, the State Government has issued Standard Operating Procedure (SOP) for operation of equines and related requirements. Copies of assessment report of Committee and subsequently SOP issued on 01.05.2023 is being marked and filed as **Annexure No. 1** to this affidavit. UKPCB has also requested to Animal Husbandry Department to provide assessment report and SOP for Yamunotri and Gangotri yatra routes.
5. That the Hon'ble High Court of Uttarakhand considered the matter in length on 10.08.2023 and, *inter alia* issued detailed directions for smooth operation of equines. Copy of order dated 10.08.2023 is being marked and filed as **Annexure No. 2** to this affidavit.
6. That in order to expand the surface water quality monitoring network of UKPCB, it is proposed to carry out river water quality monitoring at Gaurikund and Soneprayag in river Mandakini and Govindghat in river Alaknanda during the yatra season. It is expected that these new monitoring locations would reflect water quality contamination, if any, due to disposal of waste, dung etc.

That the deponent is a responsible Government servant having the highest regards for the Hon'ble Tribunal and orders passed




by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

[Handwritten Signature]
Deponent

I,, Advocate, do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to beis the same person who is known to me from the papers produced by him before me in this case.

.....
Advocate

Enroll. No.

Solemnly affirmed before me on this day of 04 March, 2024 at Dehradun at about 6:0 AM/PM by the deponent who has been identified by the aforesaid person. I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of this affidavit.

The person has signed in my presence on the affidavit.



S.No-1195/24
This affidavit is sworn before me by
Shri. *Dr. Ravi Mathika Dhakate*
who is identified by Shri
at Dehradun on

Notary

[Handwritten Signature]
(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

ई पत्र संख्या-190468/XV-I/24/67934

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-01

देहरादून : दिनांक 14 फरवरी, 2024।

विषय : मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 O.A No. 561/2022(MA No.54) Urvashi Shobhna Kachari Vs Union of India & Ors. के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0-183-600/2024/1316 दिनांक: 31.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्देश के अनुपालन में Carrying Capacity सम्बन्धी अध्ययनों की प्रति उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि जनहित याचिका सं0-79/2022 गौरी मौलेखी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 08.06.2022 के अनुपालन में उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड के पांच सदस्यीय दल द्वारा केदारनाथ यात्रा मार्ग एवं हेमकुण्ड साहब यात्रा मार्ग का स्थलीय भ्रमण/अध्ययन किया गया। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु पशुपालन अनुभाग-01 उत्तराखण्ड शासन के आदेश दिनांक: 01.05.2023 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

इस सम्बन्ध में उक्त अध्ययन दल की स्थलीय भ्रमण आख्या (दिनांक: 02.09.2022 व 04.09.2022) व मानक संचालन प्रक्रिया दिनांक: 01.05.2023 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

Signed by Rajendra Kumar

Bhatt

Date: 14-02-2024 16:32:16

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)

संयुक्त सचिव।

58/2024

190468

ई संख्या: /XV-I/24/67934 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, पशुपालन को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त के सम्बन्ध में Action Taken Report उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. गार्ड फाईल।

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव।



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून

(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था)

शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला रोड, देहरादून- 248001

फोन नं०: 0135 2532 850 फैक्स नं०: 2532 811 E-mail: uttarakhandawb@gmail.com

website : <http://ahd.uk.gov.in/pages/display/132-uttarakhand-animal-welfare-board>

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के परिवहन हेतु अधिकतम अनुमन्य धारिता क्षमता के निर्धारण के लिये अनुशंसाएँ उपलब्ध कराये जाने के क्रम में दिनांक 02-09-2022 को स्थलीय भ्रमण आख्या :

राज्य के विभिन्न यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं का अतिशोषण किये जाने के क्रम में मा० उच्च न्यायालय नैनीताल अन्तर्गत विचाराधीन जनहित याचिका पर मा० न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन स्तर से निर्गत निर्देशानुसार, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड द्वारा यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं की अधिकतम अनुमन्य धारिता क्षमता के क्रम में अनुशंसाएँ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। तदक्रम में उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड की पांच सदस्यीय टीम द्वारा मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग के साथ आज दिनांक 02-09-2022 को केदारनाथ यात्रा मार्ग का स्थलीय भ्रमण/अध्ययन किया गया। निरीक्षण के समय राजकीय पशुचिकित्सक डा० राजीव गोयल, डा० दीपमणि गुप्ता, डा० अमित एवं संविदा पशुचिकित्सक डा० शिवकुमार तिवारी, डा० रोहित गहलोत, डा० अनिल कुमार और डा० आकाशदीप उपस्थित पाये गये। यात्रा मार्ग पर अवस्थापित घोडा पडावों/अश्वशाला परिसरों/अवासीय स्थानों का निरीक्षण किया गया तथा अश्वस्वामियों एवं अश्वचालकों से वार्ता की गयी। सभी हितधारकों से अभिमत लिये जाने हेतु अपर निदेशक पशुपालन गढ़वाल मण्डल, अपर निदेशक पशुधन विकास गोपेश्वर, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग, संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड, प्रभारी अधिकारी, उत्तराखण्ड गोसेवा आयोग देहरादून द्वारा गौरीकुण्ड से केदारनाथ मार्ग पर जाकर वस्तुस्थिति से अवगत हुए एवं वर्तमान में घोड़े/खच्चर एवं पैदल यात्रियों के आवागमन अध्ययन किया गया है। भ्रमण के उपरान्त जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के कक्ष में सेवादायी संस्था जीमैक्स के प्रतिनिधि के साथ बैठक आयोजित की गई। उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड की टीम द्वारा बैठक में जिलाप्रशासन स्तर से गत महीनों में किये गये अभूतपूर्व अभिनव प्रयासों के प्रति आभार प्रकट करते हुए निम्न बिन्दुओं की ओर ध्यानाकर्षण कराया गया :-

1. प्रस्तावित किया गया कि, यात्रा मार्ग पर फ्लैक्स/बैनर के माध्यम से सभी यात्रियों से अपील किया जाना उचित होगा कि, तीर्थ यात्रियों द्वारा यथासम्भव स्वयं पैदल यात्रा कर पुण्य अर्जन का सौभाग्य प्राप्त किया जाय। यात्रामार्ग पर स्थानाभाव को दृष्टिगत रखते हुए सभी यात्रियों को अश्व परिवहन की सुविधा दिया जाना सम्भव नहीं है। केवल बृद्ध, अस्वस्थ एवं अशक्त व्यक्तियों को ही अश्व परिवहन की सुविधा दिया जा पाना सम्भव है। इस क्रम में यात्रा प्रारम्भ होते ही गौरीकुण्ड में ही तीर्थयात्रियों को अश्ववंशीय पशु उपलब्ध कराये जाने की परम्परा को बदलते हुए यथासम्भव अधिकाधिक तीर्थ यात्रियों द्वारा पैदल चलन की परम्परा को बढ़ावा दिया जाना उचित होगा।
2. प्रस्तावित किया गया कि, यात्रामार्ग पर भगदड (stampede) के कारण जनहानि, पशुहानि की आशंका के निवारण तथा पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता की संभावना के निवारण हेतु, पशुओं को गुनगुना पेयजल तथा शेडशैल्टर की उचित व्यवस्था होने पर प्रति किलोमीटर अधिकतम 200 अश्ववंशीय पशुओं की अधिकतम धारिता क्षमता निर्धारित किया जाना उचित होगा। अधिकतम धारिता क्षमता में माल ढुलान सहित सभी उतरने एवं चढ़ने वाले सभी अश्ववंशीय पशुओं को सम्मिलित किया जाना उचित होगा।
3. प्रस्तावित किया गया कि, अश्ववंशीय पशुओं को दो वर्गों (स्वस्थ घोडा/खच्चर तथा स्वस्थ टट्ट) में पंजीकृत किया जाना उचित होगा। 50 कि०ग्राम० से अधिक भारवर्ग के यात्रियों हेतु स्वस्थ घोडा खच्चर से काम लिया


By A


By A


643


जाना उचित होगा तथा 50 कि०ग्राम० से कम वजन के यात्रियों हेतु स्वस्थ टट्टू (पोनी) से काम लिया जाना उचित होगा।


4. जी मैक्स द्वारा अवगत कराया गया कि, एक ही मालिक के 6 से 8 तक अश्ववंशीय पशु है। प्रस्तावित किया गया कि, अगले यात्राकाल में यात्रा मार्ग पर अश्वपशुओं की संख्या में कमी लाये जाने हेतु प्रत्येक पशुस्वामी द्वारा अधिकतम 2 अश्ववंशीय पशु सीमित किये जाने सम्बन्धी नीति निर्धारण किया जाना उचित होगा।
5. प्रस्तावित किया गया कि, आगामी वर्षों में अश्वस्वामियों को यात्रा मार्ग पर अनुमति की प्रक्रिया में सर्वप्रथम पशुचिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण तथा उसके बाद जिला पंचायत द्वारा अनुज्ञाकरण तदपश्चात जीमैक्स द्वारा अभिलेखीकरण/पंजीकरण के उपरान्त ही बीमाकरण की कार्यवाही सम्पन्न किया जाना उचित होगा।
6. वर्तमान समय में केदारनाथ पैदल यात्रामार्ग की कुल दूरी 19 कि०मी० है। केदारनाथ यात्रामार्ग में अश्ववंशीय पशुओं जाने तथा आने में प्रति चक्कर प्रतिदिन 38 कि०मी० की दूरी तय की जाती है। दुर्गम पर्वतीय मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं द्वारा 20-22 कि०मी० पैदल परिवहन किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तावित किया गया कि, मध्य यात्रा मार्ग (Mid Way) पर एक पडाव की स्थापना किया जाना उचित होगा, जिससे कि, नये अश्वपशुओं को योजित करते हुए, दुर्गम, दुरुह पर्वतीय मार्ग पर प्रतिपशु दैनिक रूप से लगभग 20 कि०मी० परिवहन को सीमित किया जाना सम्भव हो सकेगा।
7. प्रस्तावित किया गया कि, गौरीकुण्ड एवं मध्यमार्ग पडाव पर स्थापित अश्वशाला में, सभी पशुओं को दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त ही काठी/पलानपेटी पहनाये जाने के बाद ही यात्री पर्ची निर्गत किये जाने की परम्परा प्रारम्भ किया जाना उचित होगा। इस क्रम में पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के 12 डिजिट यूनीक आईडी इयर टैग नम्बर पर वर्णित बारकोड को एक्सेस किये जाने हेतु 10 बारकोड रीडर उपार्जित किया जाना उचित होगा।
8. ध्यानाकर्षण कराया गया कि, किंचित पशुस्वामियों द्वारा अनियमितता बरते जाने की दशा में रोक लगाये जाने के उपरान्त भी पशुओं को यात्रामार्ग से हटाया नहीं गया। प्रस्तावित किया गया कि, इन पशुओं के अतिशोषण के कारण मृत्यु होने पर इनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु पशुपालन विभाग एवं जीमैक्स के मध्य सूचनाओं का आदानप्रदान हेतु नियमित रूप से समन्वयन समीक्षा बैठक आहूत किया जाना तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी को साफटवेयर एक्सेस दिया जाना उचित होगा।
9. ध्यानाकर्षण कराया गया कि, किंचित पशुस्वामियों द्वारा यात्रामार्ग में जीमैक्स द्वारा आबंटित चिपरट्रैप उतारकर अन्य पशुओं पर अवैध उपयोग में लाये जा रहे हैं। प्रस्तावित किया गया कि, इस अनियमितता की रोकथाम हेतु बेहतर प्रयास किया जाना उचित होगा।
10. प्रस्तावित किया गया कि, घोडापडाव केदारनाथ धाम में जो घोडे खच्चर रात को रुक रहे हैं उनके लिए पशुचिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति होने पर वह उन्हें वही पर स्वास्थ्य परीक्षण/ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना उचित होगा, जिससे अश्ववंशीय पशु गौरीकुण्ड वापसी तक वे स्वस्थ रहें।
11. प्रस्तावित किया गया कि, यात्रामार्ग पर अश्वमल का बेहतर प्रबन्ध हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्यवाही किया जाना उचित होगा। जिस हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का सहयोग प्राप्त किया जाना होगा।


(डा० डी०सी० सी०) सैमवाल
पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1
उत्तराखण्ड गोसेवा आयोग


(डा० आशुतोष जोशी)
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, टिहरी
गढ़वाल


(डा० लोकेश कुमार)
अपर निदेशक,
पशुधन विकास गोपेश्वर


(डा० शरिद भट्टारी)
संयुक्त निदेशक,
उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड


(डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक,
गढ़वाल मण्डल पौडी गढ़वाल



उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून

(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित सरथा)

शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला रोड, देहरादून- 248001

फोन नं०: 0135 2532 850 फैक्स नं०: 2532 811 E-mail: uttarakhandawb@gmail.com

website : <http://ahd.uk.gov.in/pages/display/132-uttarakhand-animal-welfare-board>

हेमकुण्ड यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के परिवहन हेतु अधिकतम अनुमन्य धारिता क्षमता के निर्धारण हेतु अनुशंसाएं उपलब्ध कराये जाने के क्रम में दिनांक 04-09-2022 को स्थलीय भ्रमण आख्या :

वर्तमान समय में, उत्तराखण्ड राज्य के यात्रा मार्गों (केदारनाथ यात्रा मार्ग, हेमकुण्ड साहिब यात्रामार्ग तथा यमुनोत्री यात्रा मार्ग) में अश्ववंशीय पशुओं का अतिशोषण किये जाने से सम्बन्धित जनहित याचिका मा० उच्च न्यायालय नैनीताल अन्तर्गत विचाराधीन है। मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16-06-2022 को आहूत बैठक में, दिये गये निर्देशानुसार उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड द्वारा राज्य के यात्रा मार्गों में अश्ववंशीय पशुओं की अधिकतम धारिता क्षमता (maximum carrying capacity) के निर्धारण हेतु जिला प्रशासन, सम्बन्धित विभागों एवं समस्त हितधारकों के अभिमत का संज्ञान लिये जाने के उपरान्त, यात्रामार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है तथा तदनुसार उत्तराखण्ड शासन को तदक्रम में अनुशंसाएं उपलब्ध करायी जानी हैं। तदक्रम में उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड की पांच सदस्यीय टीम द्वारा मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी चमोली गढ़वाल के साथ, आज दिनांक 04-09-2022 को हेमकुण्ड यात्रा मार्ग का स्थलीय भ्रमण/अध्ययन किया गया। निरीक्षण के समय डा० किशोर भूटानी, पशुचिकित्सा अधिकारी राजकीय पशुचिकित्सालय आदिबद्री/ प्रभारी पुलना में स्थापित अस्थायी पशुचिकित्सालय एवं डा० रवीन्द्र सिंह राणा, पशुचिकित्सा अधिकारी/ नोडल अधिकारी पशुपालन विभाग, हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग में उपस्थित पाये गये। यात्रा मार्ग पर अश्वस्वामियों एवं अश्वचालकों से वार्ता की गयी। जाँच दल में डा० अशोक कुमार, अपर निदेशक पशुपालन, गढ़वाल मण्डल, डा० लोकेश कुमार, अपर निदेशक पशुधन विकास गोपेश्वर, डा० शरद भण्डारी, संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड, डा० आशुतोष जोशी, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल, डा० प्रलयंकर नाथ, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी जनपद चमोली गढ़वाल एवं डा० डी०सी० सेमवाल, प्रभारी अधिकारी, उत्तराखण्ड गोसेवा आयोग देहरादून द्वारा हेमकुण्ड यात्रामार्ग मार्ग पर जाकर वस्तुस्थिति से अवगत हुए एवं वर्तमान में घोड़े/खच्चर एवं पैदल यात्रियों के आवागमन अध्ययन किया गया है। भ्रमण के उपरान्त जिलाधिकारी जनपद चमोली गढ़वाल महोदय की उपस्थिति में सभी सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड की टीम द्वारा बैठक में निम्न बिन्दुओं की ओर ध्यानाकर्षण कराया गया :-

1. प्रस्तावित किया गया कि, यात्रा मार्ग पर सभी यात्रियों से अपील किया जाना उचित होगा कि, तीर्थ यात्रियों द्वारा यथासम्भव स्वयं पैदल यात्रा कर पुण्य अर्जन का सौभाग्य प्राप्त किया जाय। यात्रामार्ग पर सभी यात्रियों को अश्व परिवहन की सुविधा दिया जाना सम्भव नहीं है। केवल बृद्ध, अस्वस्थ एवं अशक्त व्यक्तियों को ही अश्व परिवहन की सुविधा दिया जा पाना सम्भव है। इस क्रम में यात्रा प्रारम्भ होते ही पुलना/ घांघरिया में तीर्थयात्रियों को अश्ववंशीय पशु उपलब्ध कराये जाने की परम्परा को बदलते हुए यथासम्भव अधिकाधिक तीर्थ यात्रियों द्वारा पैदल चालन की परम्परा को बढ़ावा दिया जाना उचित होगा।
2. प्रस्तावित किया गया कि, हेमकुण्ड यात्रामार्ग की अत्यधिक दुरुह चढाई को संज्ञान में लेते हुए यात्रामार्ग पर भगदड़ (stampede) के कारण जनहानि, पशुहानि की आशंका के निवारण तथा पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता की संभावना के निवारण हेतु, यात्रा मार्ग पर पशुओं को गुनगुने पेयजल तथा शेडशैल्टर की उचित व्यवस्था होने पर, प्रति किलोमीटर अधिकतम 70 अश्ववंशीय पशुओं की अधिकतम धारिता क्षमता निर्धारित किया जाना

(Signature)

(Signature)

(Signature)

645

1. उचित होगा। अधिकतम धारिता क्षमता में माल दुलान सहित सभी उतारने एवं चढ़ने वाले सभी अश्ववंशीय पशुओं को सम्मिलित किया जाना उचित होगा।
3. प्रस्तावित किया गया कि, अश्ववंशीय पशुओं को दो वर्गों (स्वस्थ घोड़ा/स्वच्छर तथा स्वस्थ टट्टू) में पंजीकृत किया जाना उचित होगा। 50 कि०ग्राम० से अधिक भारवर्ग के यात्रियों हेतु स्वस्थ घोड़ा स्वच्छर से काम लिया जाना उचित होगा तथा 50 कि०ग्राम० से कम भारवर्ग के यात्रियों हेतु स्वस्थ टट्टू (पोनी) से काम लिया जाना उचित होगा।
4. प्रस्तावित किया गया कि, आगामी वर्षों में अश्वस्वामियों को यात्रा मार्ग पर अनुमति की प्रक्रिया में सर्वप्रथम पशुचिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं वीमाकरण तथा उसके बाद जिला पंचायत/ ई०डी०सी० द्वारा पंजीकरण किया जाना उचित होगा।
5. दुर्गम पर्वतीय मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं द्वारा दैनिक रूप से अधिकतम 20-22 कि०मी० पैदल परिवहन किया जाना अपेक्षित है। इस क्रम में पशुकल्याण बोर्ड की टीम द्वारा जिला प्रशासन का इस आशय के साथ आभार प्रकट किया गया कि, जिला प्रशासन जनपद चमोली गढ़वाल द्वारा हेमकुण्ड यात्रा मार्ग पर मध्यमार्ग (घांघरिया) में अश्ववंशीय पशुओं को बदल डालने की परम्परा निभायी जा रही है। जिस कारण अश्ववंशीय पशुओं के पुलना से घांघरिया तक आवागमन में 18 कि०मी० दूरी तय की जाती है तथा घांघरिया से हेमकुण्ड तक आवागमन में 12 कि०मी० दूरी तय की जाती है। प्रस्तावित किया गया कि, पुलना एवं घांघरिया में अश्ववंशीय पशुओं हेतु स्थायी शेड शैल्टर की स्थापना किया जाना उचित होगा।
6. प्रस्तावित किया गया कि, पुलना एवं घांघरिया पडाव पर प्रस्तावित अश्वशाला में, सभी पशुओं को दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त ही काठी/पलानपेटी पहनाये जाने के बाद ही यात्री पर्ची निर्गत किये जाने की परम्परा प्रारम्भ किया जाना उचित होगा। इस क्रम में पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के 12 डिजिट यूनीक आईडी इयर टैग नम्बर पर वर्णित बारकोड को एक्सेस किये जाने हेतु 05 बारकोड रीडर उपार्जित किया जाना उचित होगा।
7. प्रस्तावित किया गया कि, जनपद रुद्रप्रयाग की भांति जनपद चमोली गढ़वाल में भी संविदा पर 04 पशुचिकित्सा अधिकारी एवं 04 संविदा पशुधन सहायकों की नियुक्ति किया जाना अतिआवश्यक होगा।
8. प्रस्तावित किया गया कि, जिला प्रशासन द्वारा, पुलना एवं घांघरिया अन्तर्गत अस्थायी पशुचिकित्सालय परिसरों में आवासीय एवं अनावासीय अवसंरचना के निर्माण हेतु भूमि चिन्हांकित कर पशुपालन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किया जाना अतिआवश्यक होगा।
9. प्रस्तावित किया गया कि, बादल वाले मौसम में सौरचालित पेयजल संयंत्रों द्वारा भली प्रकार पानी गर्म कर पाने की क्षमता पर संशय होने की दशा में विद्युतचालित संयंत्रों की स्थापना किया जाना उचित होगा।
10. प्रस्तावित किया गया कि, हेमकुण्ड यात्रामार्ग मार्ग पर पुलना, घांघरिया, हेमकुण्ड के अतिरिक्त दो अतिरिक्त स्थानों (पुलना एवं घांघरिया के मध्य एवं घांघरिया व हेमकुण्ड के मध्य) कुल पाँच स्थानों पर गुनगुने पेयजल की व्यवस्था किया जाना उचित होगा।
11. प्रस्तावित किया गया कि, यात्रामार्ग पर अश्वमल का बेहतर प्रबन्ध हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्यवाही किया जाना उचित होगा।
12. प्रस्तावित किया गया कि, एक अश्वचालक द्वारा एक ही अश्ववंशीय पशु को संचालन की अनुमति दिया जाना उचित होगा।

Dr. Ashutosh Singh
(Dr. Ashutosh Singh)
V. Gov. Secretary
Dehradun

Dr. Ashutosh Singh
CYO Tehri

Dr. Ashutosh Singh
J.D., Animal Welfare Board
Dehradun

Dr. Ashutosh Singh
J.D., Animal Welfare Board
Dehradun

Dr. Ashutosh Singh
A.D., U.D., Dehradun

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 01 अप्रैल, 2023

विषय : यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु Standard Operating Procedure के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके ई पत्र संख्या 11390/2023/पशुधन-तीन/
प0क0बो0शि035(8)/2023-24 दिनांक: 25.04.2023 के क्रम में यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय
पशुओं के संचालन हेतु निम्नवत् Standard Operating Procedure निर्धारित किया जाता
है :-

1. यात्रा मार्ग हेतु कुल 5000 (पाँच हजार) अश्ववंशीय पशु की क्षमता जिसमें 4000 (चार हजार) यात्रा हेतु एवं 1000 (एक हजार) माल वाहन हेतु निर्धारित किया जाता है। प्रति किलोमीटर (आना-जाना) के लिए प्रति किलोमीटर लगभग 263 अश्ववंशीय पशुओं (कुल 19 कि०मी० के यात्रामार्ग हेतु 5000 अश्ववंशीय पशु) एवं हेमकुण्ड यात्रामार्ग में अनावश्यक क्रूरता की संभावना के निवारण हेतु, यात्रा मार्ग पर पशुओं को गुनगुने पेयजल तथा शेड शैल्टर की उचित व्यवस्था हेतु, प्रति किलोमीटर अधिकतम 70 अश्ववंशीय पशुओं (कुल 15 कि०मी० की दूरी हेतु 1,050 अश्ववंशीय पशु) की अधिकतम धारिता क्षमता निर्धारित किया जाता है।
2. यात्रा मार्ग पर प्रत्येक पशु स्वामी द्वारा अधिकतम 2 अश्ववंशीय पशु को संचालित किया जायेगा। प्रतिदिन एक अश्ववंशीय पशु से एक चक्कर लगाने की अनुमति होगी।
3. यात्रा मार्गों पर अत्यधिक कठिन परिस्थितियों एवं ठण्डे वातावरण में वर्षा, बर्फ, ओलावृष्टि के कारण अश्ववंशीय पशुओं में ज्वर, खांसी, दमा, न्यूमोनिया इत्यादि के कारण अकाल मृत्यु से बचाव हेतु आवश्यक है कि पशुओं हेतु कुछ-कुछ दूरी पर अस्थायी शेड शैल्टर की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। पशु को पानी पिलाने के बाद, अनिवार्य रूप से कम से कम 20 मिनट आराम दिया जायेगा।
4. यात्रा मार्ग पर यात्रा से पहले प्रत्येक पशु का भली प्रकार स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी होने पर अश्व पशुओं को यात्रा मार्गों पर परिवहन की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी।

5. यात्रा सीजन से पूर्व अश्ववंशीय पशुओं के स्वामियों द्वारा Glander परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट यात्रा से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा। Glander परीक्षण रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही अश्ववंशीय पशुओं को यात्रा में सम्मिलित किया जायेगा।
6. पंजीकृत पशुचिकित्सा अधिकारी के द्वारा अश्ववंशीय पशुओं के स्वामियों को स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट निर्गत किया जायेगा, जिसमें अश्ववंशीय पशुओं के कान पर **Applied Ear Tag** का नम्बर, पशु का साइज, वजन, मुख्यतः दर्शाया जायेगा।
7. कतिपय पशुस्वामियों द्वारा अनियमितता बरते जाने की दशा में रोक लगाये जाने के उपरान्त भी पशुओं को यात्रामार्ग से हटाया नहीं जाता है। इन पशुओं के अतिशोषण के कारण मृत्यु होने पर पशुस्वामियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु पशुपालन विभाग एवं अन्य किसी कार्यदायी संस्था के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान हेतु नियमित रूप से समन्वयन समीक्षा बैठक आहूत किया जायेगा तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी को साफ्टवेयर एक्सेस दिया जायेगा।
8. कतिपय पशु स्वामियों द्वारा यात्रामार्ग में अन्य किसी कार्यदायी संस्था द्वारा आर्बिट्रिट चिपस्ट्रैप उतारकर अन्य पशुओं पर अवैध उपयोग में लाये जा रहे हैं। इस अनियमितता की रोकथाम हेतु बेहतर प्रयास किया जायेगा।
9. यात्रा मार्ग के आधार शिविरों एवं मध्य मार्ग पर प्रत्येक शेड शैल्टर के निकट स्थायी अथवा अस्थायी पशु चिकित्सालय की स्थापना कि जायेगी। पशु चिकित्सालय पर पशुचिकित्सक (संविदा पर) तथा पैरावेट की नियुक्ति की जायेगी।
10. यात्रा मार्ग पर प्रयोग में लाए जाने वाले अश्ववंशीय पशुओं को कार्य में लिए जाने से पूर्व क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि के अनुसार न्यूनतम एक सप्ताह की अनुकूलन अवधि सुनिश्चित की जायेगी जिससे कि पशु क्षेत्र के अनुसार अपने आप को ढाल सके।
11. जिला एस०पी०सी०ए० अथवा उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के कार्मिकों हेतु पशु कल्याण एवं प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित कानूनी प्राविधानों, मा० उच्च न्यायालयों, मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिये गये मार्गदर्शी आदेशों के प्रति जागरूकता हेतु संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। भारतीय सेना के अन्तर्गत रिमाउण्ट वेटनरी कॉर्पस तथा अर्धसैनिक बलों (यथा आई०टी०बी०पी०) के पशुचिकित्साविदों द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त अश्ववंशीय पशुओं की चिकित्सा/प्रबन्धन हेतु कुछ विशेष चिकित्सा प्रक्रियाएँ/रीतियाँ अपनाई जाती हैं। पशुपालन विभाग के पशुचिकित्साविदों एवं सहयोगी कार्मिकों हेतु इस विशेष प्रशिक्षण हेतु रिमाउण्ट वेटनरी कॉर्पस अथवा आई०टी०बी०पी० अथवा अश्व कल्याण हेतु विशेषज्ञ पशु कल्याण संस्था-ब्रूक्स इन्डिया में सेवारत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त पशुचिकित्साविदों के दिशा-निर्देशन में पी०एफ०ए० उत्तराखण्ड के अश्व अभ्यारण्य में अथवा अन्य स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे।
12. यात्रा मार्गों पर अत्यधिक कठिन एवं ठण्डे वातावरण में अश्ववंशीय पशुओं की अकाल मृत्यु की दशा में महामारी फैलने तथा जल स्रोतों के प्रदूषित होने की आशंका बनी रहती है। 24 घण्टे के भीतर मृत अश्ववंशीय पशुओं के शव निस्तारण से पूर्व शवविच्छेदन रिपोर्ट पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जाने के उपरान्त, मृत अश्ववंशीय पशुओं के शवों को कार्यदायी संस्था के माध्यम से जमीन के भीतर गहरा गाड़ दिया जाय अथवा

शवदाह कर पशु देह का निस्तारण किया जाय। शवविच्छेदन रिपोर्ट में विलम्ब की स्थिति में मृत अश्ववंशीय पशु के देह को ढक कर रखा जाय।

13. यात्रा के दौरान घायल/ बीमार हुए अश्ववंशीय पशुओं को यात्रा मार्ग पर पुनः चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। एक बार अस्वस्थ घोषित कर दिये जाने के उपरान्त यदि अश्ववंशीय पशु यात्रा मार्ग पर कार्य कर रहा है तो पशुस्वामी के लिए अर्थदण्ड एवं अनुज्ञा प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

14. यदि पशुस्वामी द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशा में पशुस्वामी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

15. पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता किये जाने अथवा अत्यधिक शोषण पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने हेतु, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला एस०पी०सी०ए० में पदेन सदस्यों के रूप में सम्मिलित विभागों (पशुपालन विभाग, स्थानीय निकाय/जिला पंचायत, वन विभाग/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पुलिस विभाग) के अधिकारियों के प्रतिनिधि कार्मिकों के दल में प्रान्तीय रक्षा दल/होम गार्ड्स के स्टाफ के सहयोग से, यात्रा मार्ग में दैनिक रूप से आवंटित अश्वटोकन की जाँच, अश्व संचालक टोकन की जाँच, प्रत्येक पशु द्वारा चक्रों की संख्या की जाँच, घायल/रोगी पशुओं का चिन्हांकन कर भारवाहन से अलग किये जाने, पशु मृत्यु की दशा में पशुस्वामी की पहचान, शव निस्तारण की रीति की जाँच की जायेगी तथा अनियमितता मिलने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

16. तीर्थाटन मार्गों की मुख्य बस्ती/आधार शिविरों से 1 से 2 किमी दूरी पर पशुस्वामियों को किराये पर स्थायी अश्वशालाएँ उपलब्ध करायी जाय। इन अश्वशालाओं में बिजली एवं शरीर तापमान वाले गुनगुने पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा मांग के अनुरूप उचित दरों पर पशुआहार एवं चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

17. यात्रा मार्गों पर टोल फ्री नम्बर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होने के कारण किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में सम्पर्क कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है। इस क्रम में टोल फ्री नम्बर को नेटवर्क एरिया से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय, जिससे यात्रियों एवं अश्ववंशीय पशु स्वामियों की किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त Standard Operating Procedure का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Signed by Rajendra Kumar
Bhatt

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
Date: 01-05-2023 16:49:33
संयुक्त सचिव।

संख्या- ११५ /XV-1/23/4(12)22 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक, सूचना महानिदेशालय।
4. अपर निदेशक, पशुपालन, गढ़वाल/कुमाँऊ, उत्तराखण्ड।

2023

649

5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आजा से

Signed by Anshika

Vashishth

Date: 20/04/2024

अनु सचिव।

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND
AT NAINITAL

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE SRI VIPIN SANGHI
AND
HON'BLE SRI JUSTICE RAKESH THAPLIYAL

10TH AUGUST, 2023

WRIT PETITION (PIL) No. 79 OF 2022

Gauri Maulekhi.

...Petitioner

and

State of Uttarakhand and others.

...Respondents

And

WRIT PETITION (PIL) No. 105 OF 2023

Ajay Gautam.

...Petitioner

and

State of Uttarakhand and others.

...Respondents

Counsel for the petitioner in WPPIL No. 79/2022. : Ms. Gauri Maulekhi, petitioner, party-in-person.

Counsel for the petitioner in WPPIL No. 105/2023. : Mr. Ajay Gautam, petitioner, party-in-person.

Counsel for the State of Uttarakhand. : Mr. C.S. Rawat, learned Chief Standing Counsel assisted by Mr. Gajendra Tripathi, learned Brief Holder for the State of Uttarakhand.

Counsel for respondent no. 5 in WPPIL No. 79/2022. : Mr. Aditya Pratap Singh, learned counsel.

Counsel for respondent no. 10 in WPPIL No. 79/2022. : Mr. Anil Kumar Bisht, learned counsel.

COMMON ORDER : (per Sri Vipin Sanghi, C.J.)

In pursuance of our order dated 24.07.2023, passed in WPPIL No. 79/2022, the Secretary, Animal Husbandry Department, Government of Uttarakhand – Dr. B.V.R.C. Purushottam, is present in Court. Further affidavits/ compliance affidavits have been filed by the respondents in pursuance of our said order.

2. At the outset, Dr. Purushottam has submitted that, in comparison to the last year, i.e. 2022, the situation has seen significant improvement, with regard to the Equine health, care and management, deployed on the Kedarnath Yatra. A comparison of the Equine data for Kedarnath Yatra 2022, and 2023 has been provided in the affidavit filed by Shri Rajendra Kumar Bhatt, the Joint Secretary, Animal Husbandry Department, Government of Uttarakhand, which has been referred to by him. The tabulation provided in the affidavit is as follows :-

Comparison of Equine Data for Kedarnath Yatra 2022 & 2023			
Parameter	Kedarnath Yatra 2022	Kedarnath Yatra 2023	Percent age Change

Number of Days From Start of Yatra	95 Days (08th August 2022)	95 Days (28th July 2023)	
Equine Treatments	3221	3482	+8%
Equine Deaths	213	114	-86%
Equine Health Checks	14835	15391	+3.7%
Equines Rendered Unfit	193	423	+119%
Financial Penalties (Challans)	119	215	+80%
FIRs Lodged	09	17	+88%

3. The affidavit further discloses that a 30 member Mule Task Force, consisting of Prantiya Rakshak Dal Jawans, has been constituted, with multiple objectives of Equine management, and to curb cruelty against Equines. The Mule Task Force Jawans keep a constant vigil on the Equines plying on the Yatra Trek, and support the Sector Officers/ Zila Panchayat Staff/ Administration/ Veterinarians in taking punitive action against law evaders. A total of 215 financial penalties have been imposed against Equine owners, and 17 FIRs have been registered for cruelty to animals this year till 28th July 2023. Arrangements have been made to provide lukewarm water to the Equines on Yatra Trek by installing 04 Warm Water Troughs with 1,000 liters

capacity each, and 13 Warm Water Troughs with 300 litres capacity each, as compared to only 02 Warm Water Troughs of only 1000 litres capacity each, which were functional till last year. The Mule Task Force Jawans have been assigned the responsibility to manage these Warm Water Troughs.

4. The Standard Operating Procedure, for management and welfare of Equines on Yatra Trek, has been promulgated this year by the State Government, vide G.O. No. 775 dated 01st May 2023, which is being enforced in letter and spirit.

5. The affidavit further states that the District Administration has set up temporary Veterinary Hospitals in the Kedarnath Yatra Trek at Sonprayag, Gaurikund, Lincholi and Kedarnath, to provide veterinary health facilities to the Equines. As compared to only 04 Veterinarians deployed last year, the District Administration has appointed a total of 07 Veterinarians and 05 Para-Veterinary Staff on the Yatra Trek this year, who are providing veterinary services round the clock, and are also conducting regular health screening of the Equines on the trek. A total of 3482 treatments have

been provided to the Equines on the Yatra Trek this year, and a total of 21324 equines have been screened, and 423 equines rendered unfit till 28th July 2023.

6. It is further stated in the affidavit that a building, along with adjoining land in Phata, has been identified, and is being customized and renovated for use as an infirmary away from trek, so that sick animals may be segregated from healthy ones. The said infirmary is proposed to accommodate about 30-40 sick/injured Equines. Apart from this, a smaller transit infirmary, with capacity of about 07-10 Equines, is under construction at Gaurikund, and is expected to be functional within a week.

7. The affidavit also gives the particulars of the areas identified by the State for construction of shelters for Equines on the Kedarnath Route/ Trek. It is stated that at Gaurikund, a shelter for Equines has already been constructed, and lands have been identified at Kedarnath and Lincholi, and transferred to Animal Husbandry Department. The information provided, with regard to the Project Proposals for Strengthening of

Veterinary Health Services in Kedarnath Trek, is as follows :-

S. No.	Name of the Project	Estimated amount (in lakhs)	Implementing agency	present status
1	Construction of Veterinary Hospital, Animal Sheds and Transit Hostel at Gaurikund	188.40	Irrigation Department, Uttarakhand	Estimates forwarded to NABARD for fund release. Tender process has already been initiated (e-Tender on 03-08-2023 notification annexed annexure - 7)
2	Construction of Veterinary Hospital, Animal Sheds and Transit Hostel at Rudra Point, Kedarnath	464.96		
3	Construction of Veterinary Hospital, Animal Sheds and Transit Hostel at Lincholi	192.31		
4	Construction of infirmary for sick equines at Shersi (Phata)	282.66		process is ongoing

8. The affidavit states that the Animal Welfare Board of India (AWBI) has made recommendations on 26.05.2016 and 31.05.2022. Similarly, the Uttarakhand Animal Welfare Board (UAWB) has also made recommendations on 29.10.2014, 07.05.2015 and 28.08.2017. The affidavit states that, though, as per the recommendations of the Uttarakhand Animal Welfare Board, the maximum carrying capacity for Kedarnath was estimated at 3800 Equines, but considering the

heavy influx of pilgrims (11,71,747 Pilgrims visited the Shrine of Kedarnath in the first 98 days of the Yatra, as compared to 9,85,763 Pilgrims in the year 2022, i.e. increase of 18.86%), and to allow one day rest to the Equines, few more Equines have been considered to be permitted.

9. Dr. Purushottam, during his submissions, has stated that 5000 equines have been permitted due to the heavy rush, and demand for equines on the Kedarnath Trek.

10. Ms. Maulekhi has pointed out that the actual numbers are far in excess of even the 5000 mark, as a large number of unregistered handlers are also deploying their Equines for the Yatra illegally.

11. During the course of hearing, we have been informed that, at the start of the Yatra Route, there is a barrier, through which the Equines have to pass with their handlers and pilgrims. We see no reason why the State authorities should not be able to check the Equines and the handlers, when they cross the barrier, to ensure that only the registered Equines and handlers are permitted to cross the barrier, and others are stopped.

The purpose of registration of Equines and handlers would lose its significance and purpose, if even unregistered Equines and handlers are able to pass the barrier unchecked. Such infiltration would also completely derail the Yatra on the route, with influx of unregistered Equines and handlers, thereby increasing their population even beyond the limit of 5000 Equines per day, statedly permitted by the administration on the Yatra route.

12. We, therefore, direct the State to ensure strict implementation of the Rule, that only registered Equines and handlers would be allowed on the Yatra route, and not others. The concerned District Magistrate should ensure that sufficient police force is deployed at the barrier to prevent forced unauthorized entry into the Yatra Route by unregistered handlers, along with their unregistered Equines. Any other routes, which are not barricaded, should be blocked to prevent unauthorized entry.

13. Ms. Maulekhi and Mr. Gautam both state that the District Magistrate of Rudraprayag has now issued an order, banning the deployment of Equines between

sunset and sunrise. The District Magistrate, Rudraprayag is also present virtually during the hearing, and he has assured us, that he shall strictly enforce his order.

14. We direct the District Magistrate, Rudraprayag, and the other District Magistrates concerned, to ensure that Equines are not deployed on the Yatra Treks of Kedarnath, Yamunotri and Hemkund Sahib, between sunset and sunrise, so that they can be rested before they are again deployed to render service on the next day.

15. The petitioners have also pointed out that Equines, which are no longer considered good enough to carry pilgrims on the Kedarnath Trek Route, or which are otherwise poorly built, are utilized to carry provisions, raw materials and equipments. They are often overloaded beyond their capacity, and when they are not able to carry the load, they are subjected to very cruel and violent treatment, which often results in their death. They have, therefore, submitted that the load carrying capacity of the small, medium and large Equines should

be determined, and enforced on the pilgrimage treks on mountainous terrains.

16. Dr. Purushottam has also agreed to this suggestion, and he states that the same shall be put into action, without any delay.

17. It has also been suggested by the petitioners that the equines should be made to ply only for one trip per day on any pilgrim trek. They have pointed out that, at times, the Equines are deployed for more than one trip, which not only exhausts them, but also causes injuries to them.

18. This suggestion of the petitioners is also agreed to by Dr. Purushottam, and he has assured us that this suggestion would also be implemented by the local administration.

19. The petitioners have submitted that the Equines should be unsaddled each day, and their physical fitness should be checked after unsaddling, to ensure that they definite examination can be done, whether they have, or have not suffered wounds, while discharging their duty, before they are sent upward for

journey. This exercise should be conducted in respect of the Equines deployed on all the pilgrimage routes.

20. The failure to remove the saddles, while checking the fitness of the Equines, prevents the detection of wounds that the equines may have suffered, while carrying loads on pilgrimage treks. Such wounds, if not treated in time, lead to grave suffering by the Equines and, eventually, can even lead to their death.

21. Dr. Purushottam fully agrees with this suggestion of the petitioners, and assures the Court that steps would be taken to implement the said measure, without any delay.

22. Ms. Maulekhi has also submitted that more infirmaries need to be created and operationalized, for the diseased, lame, disabled, malnourished, as well as those Equines, who are treated with cruelty. She submits that such Equines should be seized by the Police, and brought to the infirmary for their treatment. She submits that mere fining the handlers/ owners, does not address the urgent need to treat the Equines, who have suffered while rendering service on the pilgrimage routes.

23. Dr. Purushottam admits that, due to lack of facilities of infirmaries, the injured, diseased, disabled and malnourished Equines could not be seized, as there was no place to take them to. However, since infirmaries have been set up on the Kedarnath Yatra Route, and others are also in the stage of being set up, he assures that, henceforth, all such animals would also be seized and kept at the infirmary for their recovery.

24. We are of the view that mere fining of the handlers, or filing cases against them for inflicting cruelty to the animals, is not sufficient to rein in and discipline the erring handlers/ owners of Equines. The fines are nominal and criminal cases take years to get decided. There is no fear, in erring handlers/ owners of Equines, of suffering any adverse consequences if they do not mend their conduct, and to stop subjecting their Equines to cruelty for commercial gain. The only effective way, in which cruelty to the Equines can be curbed, is by blacklisting such handlers/ owners, who are found to be subjecting their Equines to cruelty and maltreatment.

25. We, therefore, direct the State to formulate a scheme/ Rules in this regard, and to implement the same strictly as, it is only the fear of being debarred from carrying on their business, that will drive the erring handlers/ owners of Equines, to fall in line.

26. Ms. Maulekhi acknowledges the work done by the State for providing warm portable water to the Equines on the pilgrimage treks. Dr. Purushottam assures that the said facility shall be continued to be made available, without any lapse.

27. The petitioners have also pointed out that it is necessary to conduct a Glanders Test for each Equine, deployed on the Yatra Routes, as the said disease is highly dangerous for the Equines. The said disease is infectious, and, if not checked and addressed in time, it can create havoc, particularly, since a large number of Equines are deployed on narrow routes, and they are also kept in close contact with each other in the sheds.

28. Dr. Purushottam agrees that Glanders Test, for each of the equines deployed on the pilgrimage routes should be done, and he has assured that the State shall take steps to ensure that all such Equines are

put to Glanders Test, before they are deployed on the pilgrimage routes.

29. Ms. Maulekhi has also submitted that the Equines should be put to Endurance Test once in a season to check cardiac malfunction. Dr. Purushottam, however, submits that it is not possible to subject the Equines to Endurance Test before they are deployed, due to the reason that the Equines arrive with their handlers a day before the start of the Yatra, and there is no time to subject thousands of Equines to such test, before they are permitted to be deployed on the Yatra Routes.

30. We are of the view that the State should have a system of screening the Equines, which are sought to be deployed on Yatra Routes by competent Veterinary Doctors and Veterinarians, and if the experts feel – after physical examination of the Equine(s), that any particular Equine, or Equines, should be subjected to such Endurance Test, in respect of such Equine(s), Endurance Test should be conducted before the Equine is permitted to be deployed on the pilgrimage routes.

The State should take measures to implement this direction.

31. Ms. Maulekhi has also submitted that the Insurance Scheme in respect of Equines, is being exploited by the handlers. Equines, which suffer injury, or become disabled, or are malnourished, or are otherwise treated with cruelty, and are not in a position to render service, are subjected to further cruelty by their handlers, to ensure that they die, and their insurance claims mature.

32. On the other hand, Dr. Purushottam submits that there is no empirical data to support this theory. He submits that this year, with steps being taken by the State, number of Equine deaths, on the Yatra Routes have declined. To this, the submission of Ms. Maulekhi is that a large number of deaths take place each year, amongst the unregistered Equines, and these numbers are not even accounted for by the State.

33. Though the number of deaths of Equines deployed on the Yatra Routes may have declined, as stated in the affidavit filed by Shri Rajendra Kumar Bhatt, the same still appears to be significant. We,

therefore, direct the State to collect and collate the data, with regard to Equines deaths on the pilgrimage routes in the State, and to analyze the reasons for such deaths.

34. The purpose of insuring Equines is to provide security to their handlers/ owners against losses, which they may suffer on the death of their equine – which is the source of their earning. At the same time, the grant of insurance cover, in respect of the equines should not become a reason for their being subjected to cruelty and maltreatment, resulting in their death, particularly, after they are of no use to their handler due to their age, injuries etc.

35. We, therefore, direct the State to look into their policy, with regard to grant of insurance of the Equines, so as to exclude the possibility of claims, which arise from deaths of Equines caused due to excessive deployment, ill-treatment, malnutrition and neglect of Equines. This would ensure that only genuine claims are made, and honored, where the death of the Equine takes place, for reasons not attributable to the handler.

36. Ms. Maulekhi has also submitted that sheds - for all Equines used on the pilgrimage treks, should be

erected, to prevent their exposure to extreme weather conditions.

37. Dr. Purushottam submits that it would not be feasible to implement such a suggestion, primarily, due to constraint of space for creation of such shelters on the pilgrimage routes.

38. Even if sheds cannot be created to house all the Equines in the night, to prevent exposure to extreme weather conditions, the State should do whatever best can be done in this regard. The State should also examine the said issue carefully, and come up with alternative solutions to be able to prevent exposure of the Equines to extreme weather conditions during night stay.

39. Ms. Maulekhi has also suggested that Equines should be made to move in convoys, so as to instill discipline and increase safety, after imparting training to the handlers by the ITBP.

40. Dr. Purushottam, however, submits that this suggestion cannot be implemented, for the reason that the pilgrims, who use Equines, cannot be bound to

follow the discipline of moving in a convoy, as the pilgrims may want to take breaks on the pilgrimage route to meet their needs. In the light of this explanation, we are presently not passing any orders in this regard.

41. Ms. Maulekhi has also submitted that, looking to the very large number of Equines deployed on the pilgrimage routes, it is necessary that the State should implement a Stampede Prevention Mechanism at regular intervals on the pilgrimage routes.

42. Dr. Purushottam, however, states that, looking to the practical situation on the ground, it is not possible to introduce any such mechanism.

43. We cannot agree with Dr. Purushottam on this aspect. Stampede Prevention Mechanism is absolutely necessary, and should be implemented along the pilgrimage routes, to prevent any accident involving large number of people. It is for the State to examine the situation on the ground, and to come up with solutions in this regard, since it is the responsibility of the State to ensure the safety of the pilgrims and all others on the pilgrimage routes. We, therefore, direct

the State to examine the said aspect, and come up with a solution before the next date.

44. We direct the State to file its further affidavit before the next date, dealing with all the aforesaid aspects. We further direct the State to continue to implement, and abide by our directions issued in these Writ Petitions till now.

45. List on 20.09.2023.

VIPIN SANGHI, C.J.

RAKESH THAPLIYAL, J.

Dt: 10th AUGUST, 2023
Rahul